

प्रेस नोट
पुलिस जिला अजमेर
दिनांक 10-02-2018

रीट परीक्षा-2018 पर रहेगी पुलिस की विशेष निगरानी

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 11.02.18 को आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय रीट परीक्षा-2018 के मध्यनजर परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने मुन्ना भाईओं पर लगाम लगाने हेतु जिला पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किये गये हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर डी.एफ.एम.डी. गेट लगाये गये जिससे होकर प्रत्येक प्रतियोगी को गहन तलाशी के बाद प्रवेश दिया जावेगा तत्पश्चात एच.एच.एम.डी से सघन चैकिंग एवं फिस्किंग की जावेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये गये जिससे निगरानी रखी जाकर रिकॉर्डिंग की जावेगी।

इस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिपात रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केन्द्रो पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है जो संबंधित केन्द्रो पर उपस्थित रहकर सतर्कता से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे।

परीक्षा में अन्य राज्यों एवं जिलो से आने वाले बाहरी तत्वों जैसे संगठित गिरोह जो अनुचित साधनों से परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं इसकी रोकथम हेतु संबंधित वृताधिकारी/थानाधिकारीगणों को अपने अपने क्षेत्रों में स्थित गैस्ट हाउस/ धर्मशाला/ सराय/होटल/रैस्टोरेंट को परीक्षा समाप्ति तक चैक करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी अनुक्रम में अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित नही हो इस हेतु उप अधीक्षक पुलिस यातायात अजमेर को अतिरिक्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराया जाकर निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु पृथक से निर्देशित किया गया है तथा क्षेत्रवार उडनदस्ते गठित कर अनुचित साधनों के प्रयोग की समस्या के समाधान हेतु बहुकोणीय उपागम की व्यवस्था की गयी है।

अटैची चोर गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार



पुलिस थाना पुष्कर में दिनांक 09.02.2018 को पुलिस अधीक्षक अजमेर व वृताधिकारी ग्रामीण अजमेर के निर्देशानुसार हरजीराम उनि, नाथूलाल सउनि, सुनील पारीक कानि. 1192, सुखवीर कानि. 640, अमित कानि. 755, अनिल कानि. 1432 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा साईक्लोन टीम की सहायता से कस्बा पुष्कर में चैकिंग कर दिनांक 09.02.2018 को गैर सायलान 1—राजकुमार पुत्र चेताराम उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी 38 अनुपनगर फाजलपुर मेरठ यू.पी., 2— बबलू पुत्र मदन लाल उम्र 35 साल जाति जाटव निवासी ए 89 देवली एक्श अमर सिंह मार्केट के पास देवली एक्स पुष्पा भवन दक्षिण दिल्ली 3— दिलावर पुत्र रतिराम उम्र 55 साल जाति सैनी निवासी 235 खाई खेडा मुजफ्फर नगर गांव खाई खेडा तह. ज्ञानसेठ कुझेरा यू.पी. 4—सुरेश पुत्र कलवा उम्र 45 साल जाति माली निवासी गांव फरिदनगर तह. मोदीनगर जिला गाजियाबाद यू.पी., 5 राधेमोहन पुत्र रामचन्द्र उम्र 60 साल जाति माली निवासी रोटा रोड मेरठ यू.पी., 6—पुष्कर सैनी पुत्र टेकाराम सैनी जाति सैनी माली उम्र 42 साल निवासी गांव अटोडा तह. व थाना मुहाना जिला मेरठ यू.पी. को थाना हाजा पर धारा 151 जाफौ में गिरफ्तार किया गया था। जिनसे थाने पर पुष्कर आने के प्रयोजन बाबत पुछताछ की गई तो सभी गैर सायलान ने बताया कि हम बसों में लोगों को ध्यान भटकाकर अटैची में रखे जेवरात व नगदी की चोरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जयपुर—ब्यावर रूट व अजमेर—परबतसर रूट पर बसों से जेवरात व नगदी चुराये थे। जो हमने दादूद्वारा महादेव चौक पुष्कर में उपरी मंजिल पर एक कमरे में ठहरे हुये हैं। आदि पर गैर सायलान की इत्तलानुसार चोरी गये जेवरात व नगदी बरामद की गई तथा थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 31/18 धारा 379,411,401 भादस में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उक्त मुल्जिमान बसों में यात्रियों का ध्यान भटकाकर उनकी अटैची व सामान चोरी करने के आदतन अपराधी व गिरोह हैं।